



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3978]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 04, 2018/ आश्विन 12, 1940

No. 3978]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 04, 2018/ASVINA 12, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5157(अ).—केन्द्र सरकार, कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 48) द्वारा अंतस्थापित, वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय IXA में विहित, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संबंधी कराधान और निवेश व्यवस्था, 2016 (पी.एम.जी.के.वाई. योजना) 2016 के अन्तर्गत की गई वैद्ध घोषणा के संबंध में सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 138 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि कोई भी लोकसेवक, कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 48) की धारा 199-ओ में विनिर्दिष्ट किए गए को छोड़कर, पी.एम.जी.के. वाई योजना के बारे में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के समय उसके कब्जे में आने वाले किसी दस्तावेज अथवा रिकॉर्ड अथवा कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों को किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण के समक्ष नहीं रखेगा।

[अधिसूचना सं. 59/2018, फा. सं. 225/355/2018-आई.टी.ए-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव